बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

अधिस्चना

संख्या पटना, दिनांक

भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों/महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में शिक्षकों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति, कैरियर संवर्धन एवं अन्य सेवा शर्त्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-
 - (1) यह नियमावली बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीनस्थ राजकीय पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक संस्थानों तक रहेगा।
 - (3) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होगी।
- 2. परिभाषाएँ इस नियमावली में जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-
 - (i) "संवर्ग" से अभिप्रेत है नियम-3 में यथावर्णित बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा संवर्ग।
 - (ii) "सरकार" से अभिप्रेत है" बिहार सरकार"।
 - (iii) "आयोग" से अभिप्रेत है" बिहार लोक सेवा आयोग"।
 - (iv) "निदेशालय" से अभिप्रेत है विज्ञान एवं प्रावैधिकी निदेशालय"।
 - (v) "विभाग" से अभिप्रेत है 'विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग"।
 - (vi) "सेवा" से अभिप्रेत है बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा।
 - (vii) "सीधी नियुक्ति" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर की जाने वाली नियुक्ति।
 - (viii) "समिति" से अभिप्रेत है "विभाग द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति"।
 - (ix) "संवर्ग के सदस्य" से अभिप्रेत है इस नियमावली के उपबंधों के अधीन बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवामें नियुक्त एवं शामिल व्यक्ति।
 - (x) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।
 - (xi) "परिषद"से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अभातशिप)

Big and

- (xii) "वर्ष के अन्दर रिक्ति" से अभिप्रेत है सेवा में नये पदो के सृजन, सेवा निवृति, मृत्यु, सेवा से हटाये जाने और पदच्युत किये जाने से किसी विशिष्ट वर्ष में उदभूत रिक्ति।
- (xiii) **"वर्ष"** से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात पहली अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि।
- 3. बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा संवर्ग हेतु संवर्गीय संरचना -
 - (1) संवर्ग में निम्नलिखित पद होंगे-

क्र0सं0		पदनाम	
1	व्याख्याता		
2	विभागाध्यक्ष	<u> </u>	
3	प्राचार्य		

स्पष्टीकरण - संविदा के आधार पर कार्यरत व्यक्ति इस संवर्ग के सदस्य नहीं समझे जायेंगे।

- (2) यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा।
- (3) इस सेवा के सदस्यों के लिए वेतनमान एवं सेवाशर्ते राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।
- (4) व्याख्याता की सीधी नियुक्ति से भरे जानेवाले पदों की सृजित संख्याएँ परिषद द्वारा विहित छात्र शिक्षक अनुपात में होगी।
- (5) प्राचार्य द्वारा यांत्रिकी शाखा के वरीयतम व्याख्याता को कम शिक्षण कार्यबोझ के साथ कर्मशाला अधीक्षक का दायित्व सौपा जा सकेगा।
- 4. रिक्तियों की अवधारणा एवं आयोग को इसकी सूचना प्रत्येक वर्ष विभाग उस वर्ष के राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों हेतु व्याख्याता, विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य के पदों पर सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की गणना करेगी और उसके अनुसार सीधी नियुक्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना आयोग को प्रेषित करेगी।
- 5. सीधी नियुक्ति (1) संवर्ग के विभिन्न पदों पर सीधी नियुक्ति आयोग की अनुशंसा के आलोक में की जायेगी।
 - (2) सीधी नियुक्ति की स्कीम परिशिष्ट-1 पर उपबंधित है, जिसमें सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकेगा।



- 6. आरक्षण- इस सेवा में सीधी नियुक्ति में सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू रहेंगे। आरक्षण रोस्टर विषयवार संधारित होगा।
- 7. **उम्म-सीमा** सीधी नियुक्ति के लिए संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए न्यूनतम उम्म सीमा निम्नवत होगी:-

(क) व्याख्याता 22 वर्ष

(ख) विभागाध्यक्ष 31 वर्ष

(ग) प्राचार्य 37 वर्ष

उम्र की गणना का आधार आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन के वर्ष की संदर्भ तिथि पहली अगस्त होगी।

- 8. वरीयता- विभाग प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में संवर्गों के प्रत्येक पदक्रम में विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों की वरीयता सूची प्रकाशित करेगी।
- 9. कैरियर संवर्धन योजना-(1) इस नियमावली (Carrere Advancement Scheme dated 8th November,2012 AICTE) के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कैरियर संवर्धन योजना का लाभ समिति की अनुशंसा के आधार पर देय होगा तथा शिक्षकों द्वारा धारित मूल पद तदनुरूप उत्क्रमित होंगे किन्तु संवर्ग के सभी सृजित पदों की कुल संख्या के अधीन ही कैरियर संवर्धन लाभ देय होगा। सेवा निवृति या अन्यथा रिक्त होने पर उत्क्रमित पद स्वतः मूल पद के रूप में अवक्रमित हो जायेगा।
 - (2) प्रत्येक मामले में कैरियर संवर्धन योजना का लाभ तभी देय होगा जब संबंधित शिक्षक, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कैरियर संवंधन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु सभी शर्तों को अनिवार्यतः पूरा करते हों।
 - (3) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।
- 10. स्थापना संबंधी कार्यों का नियंत्रण इस सेवा के सदस्यों की नियुक्ति, कैरियर संवर्धन, पदस्थापना, स्थानान्तरण, सेवा सम्पुष्टि, वरीयता सूची का संधारण एवं स्थापना संबंधी सभी कार्य नियुक्ति प्राधिकार के नियंत्रणाधीन होगा।
- 11. प्रतिनियुक्ति इस संवर्ग के सदस्यों का पदस्थापन प्रतिनियुक्ति के आधार पर विभाग/निदेशालय के अधीनस्थ/संबद्घ कार्यालयों के उपयुक्त गैर संवर्गीय पदों पर अधिकतम 3 वर्षों की अवधि के लिए किया जा सकेगा।
- 12. अनुशासनिक कार्रवाई- सेवा के सदस्यों के विरूद्व अनुशासनिक कार्रवाई के प्रयोजनार्थ बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपीलीय) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान लागू होंगे।
- 13. विविध जिन विषयों या विन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है उसके संबंध में राज्य सरकार के कर्मियों के लिए तत्समय प्रवृत नियम/अनुदेश लागू होंगे।

219 4/23: 3

- 14. शिथित करने की शिक जहाँ सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है वहाँ सरकार आदेश द्वारा कारणों को अभिलिखित करते हुए किसी व्यक्ति या किसी कोटि के संबंध में इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को शिथिल कर सकेगी।
- 15. निर्वचन जहाँ इस नियमावली के किसी नियम के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो, वहाँ इस विषय पर राज्य सरकार का निर्णय मान्य होगा।
- 16. कठिनाइयों का निराकरण नियमावली से संबंधित किसी भी कठिनाई का अंतिम निराकरण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
- 17. निरसन इस नियमावली के निर्गमन के पूर्व इस संबंध में निर्गत संकल्प/परिपत्र एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं। फिर भी ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त पूर्व निर्गत संकल्प/परिपत्र के तहत की गई नियुक्तियाँ या निर्गत किए गए आदेश प्रवृत और विधिमान्य बने रहेंगे, मानों वे इस नियमावली के समुचित उपबंधों के अधीन निर्गत किए गए हों।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अपर सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - वि0प्रा0(।)स्था0-06/2014 ८९ ते १ पटना, दिनांक- १ ५ १ १ प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-७ को बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि 500 (पाँच सौ) अदद मुद्रित प्रति विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

भपर मंत्रित।

ज्ञापांक - वि0प्रा0(।)स्था0-06/2014 ८९ । पटना, दिनांक- २०१५ प्रतिलिपि- सभी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/ सभी राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों/ सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Q14 12 14

897 /42 मा. दिनांक- 28.3-2014 ज्ञापांक - वि0प्रा0(।)स्था0-06/2014 प्रतिलिपि- निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक - वि0प्रा0(।)स्था0-06/2014

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक - वि0प्रा0(।)स्था0-06/2014 👸 ९ २ /पटना, दिनांक- २-४ . ७ २०१५

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत् प्रेषित।

ज्ञापांक - वि0प्रा0(1)स्था0-06/2014 🛮 🞖 ९ 🧘 /पटना, दिनांक- 🕮 🥱 🕓 🗥 ५

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त,

बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक - वि0प्रा0(।)स्था0-06/2014 😕 🤼 ी ने /पटना, दिनांक- 😕 🥱 🥱 🔌

प्रतिलिपि- महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/आप्त सचिव, मंत्री,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

बिहार सरकार विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग परिशिष्ट-1

<u>तालिका-1</u>

बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए विहित अर्हता एवं अनुभव

क्र0सं0	पद	अर्हता ऍ	अनुभव
1	व्याख्याता	इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी प्रासंगिक शाखा में इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष स्नातक डिग्री।	
		यदि उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग/प्रौधोगिकी में निष्णात डिग्री है, स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष अपेक्षित है।	
		मानविकी एवं विज्ञान स्नातकोत्तर स्तर पर उपयुक्त विषय में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्षा	
2	विभागाध्यक्ष	इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में स्नातक और निष्णात डिग्री जिसमें स्नातक अथवा निष्णात में से किसी एक स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो।	शिक्षण/ शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव
		अथवा इंजीनियरिंग/प्रौधोगिकी की उपयुक्त शाखा में स्नातक और निष्णात डिग्री जिसमें स्नातक अथवा निष्णात में से किसी एक स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो और इंजीनियरिंग/प्रौधोगिकी के उपयुक्त विषय क्षेत्र में पीएच डी. अथवा समकक्ष।	शिक्षण/ शोध/उद्योग में न्यूनतम 5 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव
		मानविकी एवं विज्ञान उपयुक्त विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष तथा पीएच डी.।	शिक्षण/ शोध/उद्योग में न्यूनतम 5 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव
3	प्राचार्य	विभाग अध्यक्ष के पद के उपर्युक्तानुसार योग्यता एवं इंजीनियरिंग में पीएच.डी. अथवा	10 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव जिसमें न्यूनतम 3 वर्ष विभागाध्यक्ष अथवा समकक्ष के
		विभागाधयक्ष के पद के लिए उपर्युक्तानुसार योग्यता।	स्तर पर होना चाहिए।

319 - A222 - At

बिहार सरकार विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

परिशिष्ट-1

<u>तातिका-2</u>

बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा के व्याख्याता पद पर सीधी नियुक्ति के लिए वेटेज स्कीमः

	कुल	वेटेज - 100	
संवर्गीय पद	अकादमिक रिकार्ड तथा अनुसंधान निषपादन	कार्यक्षेत्र ज्ञान तथा शिक्षण	साक्षात्कार
	(वेटेज -30)	कौशल का लिखित परीक्षा द्वारा	निष्पादन -
		मूल्यांकन (वेटेज-50)	(वेटेज-20)
व्याख्याता	a) 15% of Percentage Marks obtained in	क) मानविकी एवं विज्ञान	
(क) <u>मानविकी एवं</u>	M.Sc./MA in relevant subject.	के लिये विश्वविद्यालय अनुदान	
<u>विज्ञान</u>	b) 10% of Percentage Marks obtained in	आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय	
	B.Sc. (Hons)/BA (Hons) in relevant subject.	पात्रता परीक्षा (NET) के संबंधित	
	c) Ph.D -05		
/		कोर विषय का पाठयक्रम	
(ख) <u>इंजीनियरी/प्रौंद्योगिकी</u>	a) 15% of Percentage Marks obtained in	ख) इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी संकाय	
	B.Tech. in relevant branch.	a fine malare and	
	b) 10% of Percentage Marks obtained in	के लिये ग्रेजुएट एपटीटयूड टेस्ट	
	M.Tech. in relevant branch.	इंजीनियरिंग (GATE) के	
	c) Ph.D -05	पाठयक्रम	

2

210 9/335.

बिहार सरकार विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

<u>परिशिष्ट-1</u>

तालिका-3

बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा के विभागाध्यक्ष/प्राचार्य पर्दो पर सीधी नियुक्ति के लिए वेटेज स्कीम :

		कुल वेटेज-100	
अकादमिक पृष्ठभूमि (वेटेज-20)	अकादमिक निष्पादन, अनुसंधान निष्पादन, कार्यक्षेत्र ज्ञान तथा शिक्षण कौशल का मूल्यांकन (वेटेज-60) (अभियंत्रण, मानविकी एवं विज्ञान)	वेटेज -	साक्षात्कार निष्पादन(वेटेज 20)
a) 10% of Percentage Marks obtained in M.Tech./ M.Sc./MA in relevant Branch b) 5% of Percentage Marks obtained in B.Tech. Engg/ B.Sc. (Hons)/BA (Hons) c) Ph.D -05	a) शोध/पुस्तक प्रकाशन -(वेटेज-10 अधिकतम)	संदर्भित जर्नलस -3 प्रति प्रकाशन * गैर-संदर्भित परंतु मान्य एवं जाने-माने जर्नल्स तथा पिरीयोडिकल, जिनके आई.एस.बी.एन./ आई.एस.एस.एन. नंबर हों-2 प्रति प्रकाशन * पाठय या संदर्भ पुस्तकें, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा जानी-मानी पीयर रिट्यू प्रणाली द्वारा प्रकाशित किया गया हो- एक मात्र लेखक द्वारा 5 प्रति अध्याय संपादित पुस्तक में 1 प्रति अध्याय * केन्द्र सरकार के प्रकाशनों तथा राष्ट्रीय /राज्य स्तर के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित विषयगत पुस्तकें, जिनकी आई. एस. बी. एन./ आई. एस. एस. एन. संख्या हों- 2.5प्रति अध्याय संपादित पुस्तके में 0.5 प्रति अध्याय * आई. एस. बी. एन./ आई. एस. एस. एन. संख्या वाली अन्य स्थानीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित विषयगत पुस्तके- एक मात्र लेखक द्वारा 1.5 प्रति अध्याय संपादित पुस्तके में 0.25 प्रति अध्याय संपादित पुस्तके में 0.25 प्रति अध्याय * जान आधारित खंडों में अध्यायों का संपादन योगदान (अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित) - 2 प्रति अध्याय	

·	* भारतीय/राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित ज्ञान आधारित खंडों में अध्याय
	(जिनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्टरी के नंबरों सहित आई. एस.बी. एन / आई .एस .एस.एन
	नंबर हो- 1 प्रति अध्याय
- रुतीकरण -	* पूर्ण कागजातों आदि के रूप में संगोष्ठी/ सम्मेलन की कार्यवाहियाँ (सार सम्मिलित न किया जाए)
रुतम)	- अंतर्राष्ट्रीय 5 प्रति प्रकाशन
	राष्ट्रीय 2.5 प्रति प्रकाशन
 प्तर्च प्रोजेक्ट /	* 30.0 लाख रूपये से ऊपर के अनुदान से चलाई जाने वाली बड़ी परियोजनाए-15 प्रति परियोजना
ज-10 अधिकतम)	* 5.0 लाख रूपये से 30.00 लाख रूपये तक के अनुदान से चलाई जाने वाली बड़ी परियोजनाए-
	10 प्रति परियोजना
	* लघु परियोजनाए (50.000 रूपये से 5 लाख रूपए तक के अनुदान से चलाई जाने वाली लघु परियोजनाए)-5 प्रति परियोजना
	केन्द्र तथा राज्य स्तर के सरकारी निकायों के बृहद नीतिगत दस्तावेज पेटेंट / प्रौधोगिकी हस्तांतरण/ उत्पाद/ प्रक्रिया-
	30 प्रति राष्ट्रीय स्तर परिणाम या पेटेंट
	50 प्रति अंतर्राष्ट्रीय परिणाम या पेटॅट
यक्रम,	(क) नयूनतम दो सप्ताह की अवधि -4 प्रति
प्रशिक्षण, शिक्षण-	(ख) न्यूनतम एक सप्ताह की अवधि -2 प्रति
ज प्रौद्यौगिक	
दक्षता विकास	
विकास कार्यक्रम	
न्तम)	

बिहार राज्यपाल के आदेश से अपर सचिव


GOVERNMENT OF BIHAR DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

NOTIFICATION

No/	Patna, Date
1 10	1 willing 12000

In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules for the appointment to different posts of Teachers in Govt. Polytechnics/Govt.Women's Polytechnics Institutes, career advancement and to regulate their service conditions:-

- 1. Short title, extent and commencement -
 - (1) These Rules may be called the Bihar Polytechnic Education Service Rules, 2014.
 - (2) It shall extend to all the Govt. Polytechnics/Govt. Women's Polytechnics under the Department of Science and Technology, Govt. of Bihar, in the whole state of Bihar.
 - (3) It shall come into force from the date of issue of the Notification.
- 2. Definitions In these Rules, unless otherwise requires in the context -
 - (i) "Cadre" means Bihar Polytechnic Education Service Cadre as laid down in Rule 3;
 - (ii) "Government" means the 'Government of Bihar';
 - (iii) "Commission" means 'Bihar Public Service Commission'.
 - (iv) "Directorate" means the 'Directorate of Science and Technology';
 - (v) "Department" means the 'Department of Science and Technology';
 - (vi) "Service" means 'Bihar Polytechnic Education Service';
 - (vii) "Direct Appointment" means appointment to be made on the recommendation of Bihar Public Service Commission;
 - (viii) "Committee" means the 'Departmental Promotion Committee' constituted by the Department;
 - (ix) "Cadre-Member" means the person appointed and included in the Bihar Polytechnic Education Service under the provisions contained in these Rules;
 - (x) "Appointing Authority" means the Department of Science and Technology;
 - (xi) "Council" means All India Council for Technical Education (AICTE);



- (xii) "Vacancies within the year" means the vacancies occurring in a particular year by virtue of creation of new posts, superannuation, death and dismissal;
- (xiii) "Year" means Financial Year, i.e., the period from April 01 to March 31 of the next year;


3. Cadre Structure for Bihar Polytechnic Education Service -

(1) The following posts will be in the cadre:-

Sl. No.	Designation
1	Lecturer
2	Head of the Department (H.O.D.)
3	Principal

Explanation - The persons working on contract basis will not be deemed to be the members of this cadre.

- (2) The Cadre shall be state level.
- (3) The payscales and service conditions for the members of this service shall be determined by the State Government.
- (4) Created members of the posts of Lecturer to be filled by direct appointment shall be as per student-teacher ratio prescribed by the Council.
- (5) Responsibility of Workshop Superintendent may be assigned to the senior most Lecturer of Mechanical Engineering Branch with reduced teaching workload by the Principal.
- 4. Determination of Vacancies and its intimation to the Commission Every year, the Government shall calculate the vacancies for direct appointment to the posts of Lecturer, Head of the Department and Principal for the Govt. Polytechnics/Govt. Women's Polytechnics and shall accordingly send intimation to the Commission regarding the vacancies for direct recruitment.
- 5. Direct Appointment (1)Direct appointment to the different posts of the cadre shall be made in the light of the recommendation of the Commission.
 - (2) The scheme relating to Direct Appointment is provided in Appendix-1, which may be amended by the Government, from time to time.
- Reservation For Direct Appointments in this service, the provisions of Reservation/Roster notified by the Government, from time to time, shall



remain applicable. The reservation roster shall be maintained subject-wise.

7. Age-limit: For direct appointment, the minimum age-limits for different posts of the carder shall be as under:-

a) Lecturer -22 Yrs

b) Head of Department -31 Yrs


c) Principal -37 Yrs

The age shall be computed on the basis of reference date of August 1st of the year advertisement issued by the commission.

8. Seniority: The Department shall publish in the month of April every year a seniority-list of all the legally appointed and working teachers in order of each post in the cadre.

9. Career Advancement Scheme:

- (1) Under the Rules, (Career Advancement Scheme dated 8th November 2012, AICTE) the benefit of Career Advancement Scheme as notified by the State Government shall be admissible on the basis of the recommendation of the Committee and the basic posts held by the teachers shall accordingly be upgraded but the career advancement benefit shall be admissible only within the total number of all the created posts in the cadre. Upgraded posts shall be downgraded automatically as basic posts on superannuation of service or otherwise falling vacant..
- (2) In each case, the benefit of Career Advancement Scheme shall be admissible to such teachers only when they fulfill essentially all the conditions notified by the State Government under career advancement scheme.
- (3) The Departmental Promotion Committee shall be constituted by the Department.
- 10. Control over Establishment-related Matters: Appointment of the members of this cadre career advancement, posting, transfer, confirmation of service, maintenance of seniority-list and all matters related to establishment shall be under the control of the Appointing Authority.
- 11. Deputation: Posting of the members may be made on deputation for a maximum period of three years to suitable and non-cadre posts of the offices subordinate to or attached to the Department/Directorate.
- 12. Disciplinary Action: The provisions of Bihar Government Servant (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time), shall be applicable for the purpose of disciplinary action against the cadre-members.
- 13. Miscellaneous: In the respect of the subjects or points for which provisions are not made in these Rules, the rules/instructions come in to the force for the time being in for the employees of the State Government shall apply.



- 14. **Power to relax -** Where the Government is of the opinion that deems it is necessary and expedient to do it by Order, with reasons recorded, it may relax any provision of these Rules for any person or a category.
- 15 **Interpretation** - Where any doubt arises in respect of any rule of these Rules, the decision of the State Government shall be binding.
- **16. Removal of Difficulty -** Final removal of any difficulty related to these Rules, shall be made by the Government.
- **17. Repeal and savings** - (1) All resolutions/circulars issued earlier in this regard prior to the commencement of these Rules are hereby repealed.
 - (2) Notwithstanding such repeal, the appointments made or orders issued under the aforesaid earlier issued resolutions/circulars shall remain prevalent and valid as if they were issued under the appropriate provisions of these Rules.

By the Order of the Governor of Bihar

Additional Secretary,

Deptt. of Science & Technology,

Govt. of Bihar, Patna

Memo No- वि0प्रा0(।)स्था0- 06/2014

897 Patna, Date- 28-3-2014

Copy to— Superintendent, Govt. Press, Guljarbag, Bihar, Patna -7 to publish in the forthcoming issue of the Gazette. Kindly make available of 500 (five hundred) printed copies to this department.

Additional Secretary

Memo No- वि0प्रा0(।)स्था0- 06/2014

Patna, Date- 78.3.2014

Copy to- All Principal, Govt. Engg. Colleges/Govt. Polytechnic/ Govt. Women's Polytechnics/The Secretary, State Board of Technical Education, Bihar, Patna for information.

Additional Secretary

Memo No- वि0प्रा0(।)स्था0- 06/2014

Patna, Date- つも131219

Copy to—Director, Department of Science & Technology, Bihar, Patna for information.

950813174 Additional Secretary

Memo No- वि0प्रा0(।)स्था0- 06/2014

Patna, Date- 28-3-Vol 4

Copy to -Secretary, Bihar Public Service Commission, Bihar, Patna for information.

9/28/21/14

Additional Secretary

Memo No- वि0प्रा0(।)स्था0- 06/2014

8-97 Patna, Date- 28-3, 2014

Copy to- The Accountant General, Bihar, Birchand Patel Path Bihar, Patna for information.

TARIE!

Additional Secretary

Memo No- वि0प्रा0(।)स्था0- 06/2014

Patna, Date- 38.3. 2014

Copy to-Chief Secretary/All Principal Secretary/ Secretary/ All Directors/ All Divisional Commissioner, Bihar, Patna for information.

Additional Secretary

Memo No- वि0प्रा0(।)स्था0- 06/2014

897 Patna, Date- 28-3-2014

Copy to - Secretary, Hon'ble Governor, Bihar, Patna /Principal Secretary, Hon'ble Chief Minister / Private Secretary to Minister, Department of Science & Technology, Govt. of Bihar, Patna for information.

17/2/3/14

Additional Secretary

GOVERNMENT OF BIHAR SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT


Appendix- I

TABLE- 1

Prescribed Qualifications and Experience for Direct Appointment in Bihar Polytechnic Education Service

:-

SI. No.	Post	Qualifications	Experience
1.	Lecturer	Engineering/Technology Bachelor's degree in Engineering/ Technology in the relevant branch with First Class or equivalent. If the candidate has a Master's Degree in Engineering/Technology, First class or equivalent is required at Bachelor's or Master's level. Humanities & Science First Class Master's degree in appropriate subject or	
		First Class Master's degree in appropriate subject or equivalent.	
2.	Head of the Department	Engineering/Technology Bachelor's and Master's degree in appropriate branch of Engineering/Technology with First Class or equivalent either at Bachelor's or Master's level. OR Bachelor's degree and Master's degree in appropriate branch in Engineering/Technology with First Class or equivalent either at bachelor's or Master's level and Ph.D. or equivalent, in appropriate discipline in Engineering/Technology	Minimum of 10 years' relevant experience in teaching/research/industry. Minimum of 5 years' relevant experience in teaching/research/industry.
		Engineering/Technology. Humanities & Science Master's degree or equivalent in appropriate subject with First Class and Ph.D.	Minimum of 5 years' relevant experience in teaching/research/industry.
3.	Principal	Qualification as above for the post of Head of the Department and Ph.d. in engineering OR Qualification as above for the post of Head of Department and Ph.d.	Minimum of 10 years' relevant experience in teaching/research/industry out of which at least 3 years shall be at the level of Head of the Department or equivalent.



GOVERNMENT OF BIHAR SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT

Appendix- I

TEBLE- 2

Weightage Scheme for Direct Recruitment to the Post of Lecturer in Bihar Polytechnic Education Service:

	Tota	al Weightage - 100	
Cadre Post	Academic Record and Research Work (Weightage - 30)	Evaluation of Work- Knowledge and Teaching Skill Through Written Test (Weightage - 50)	(Weightage - 20)
Lecturer	(a) 15% of Percentage Marks	(a) For Science and	
(a) Humanities & Science (b) Engineering/Technology	obtained in M.Sc./MA in relevant subject. (b) 10% of Percentage Marks obtained in B.Sc. (Hons)/BA (Hons) .in relevant subject. (c) Ph.D 05 (a) 15% of Percentage Marks obtained in B.	Humanities the syllabus of the relevant Core Subject of National Eligibility Test (NET) conducted by University Grants Commission (UGC). (b) For Engineering/Technology stream, the syllabus of Graduate Aptitude Test	
	Tech. in relevant branch/subject. (b) 10% of Percentage Marks obtained in M.Tech in relevant branch. (c) Ph.D 05	Aptitude Test Engineering (GATE).	

(219 823)

GOVERNMENT OF BIHAR SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT

Appendix- I TABLE- 3

Weightage Scheme for Direct Appointment to the Post of Head of the Department/Principal in Bihar Polytechnic Education Service:

	•	Total Weightage - 100	
Academic Background (Weightage – 20)	Evaluation of Academic Performance, Research Performance, Domain Knowledge and Teaching Skill. (Weightage – 60) (Engineering, Humanities and Science)	Weightage	Interview (Weightage – 20)
(a) 10% of Percentage Marks obtained in M.Tech./M.Sc./M.A. in relevant Branch. (b) 5% of Percentage Marks obtained in B.Tech.Engg./B.Sc.(Hons)/B.A.(Hons) (c) Ph.D 05	(a) Research/ Book Publication - (Weightage – 10 Maximum)	 Referred Journals -3 per Publication. Non-referred but recognized and reputable Journals and periodicals with ISBN/ISSNNumber- 2/Publication Text Reference Books Published by International Publishers with an established peer review system By sole author - 5/Chapter In edited books - 1/Chapter Subject Books by National/State level publishers and Central Government. Publications with ISBN/ISSN Numbers By sole author 2.5/Chapter In edited books - 0.5/Chapter In edited books by other local publishers with ISBN/ISSN Numbers By sole author 1.5/Chapter in edited books 0.25/Chapter Chapters contribution to edited knowledge based volumes (Published by International Publishers)	



b) Seminar Presentation - (Weightage – 20 Maximum)	with numbers of National and International directories - 1/Chapter - Seminar/Conference Proceedings as full papers etc. (Abstracts not to be included) - International – 5/Publication
c) Sponsored Research Project/Project — (Weightage – 10 Maximum)	National – 2.5/Publication Major projects amount mobilized with grants above Rs. 30.0 Lakh Each Project – 15 Weightage
	 Major projects amount mobilized with grants above Rs. 5 Lakh up to 30.0 Lakh Each Project – 10 Weightage
	 Minor projects (amount mobilized with grants above Rs. 50,000 up to 5 Lakh) Each Project – 5 Weightage Minor policy document of Government. Bodies at Central and State level Patent/Technology transfer/Product/Process
	30 for Each Output/Patent of National level 50 for Each one of International level
d) refresher courses, methodology, workshop, training, teaching, learning evaluation technology, soft skill, development programme faculty development programme (Weightage – 20 Maximum)	(a) Of a 2 weeks duration -4/Each (b) Of a 1 week duration -2/Each

By the Order of the Governor of Bihar

01/28/3/14

Additional Secretary,

R14 22 9